न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जोबनेर, जयपुर

पीठासीन अधिकारी सुश्री नेहा राठी आर0ए0एस

मुकदमा नं0 87/2025

मेनका नागा पत्नि संजय कुमार मोरवाल जाति कुमावत निवारी– रोड नं0 3, गुढा मोड, झुन्झुनु राजस्थान

वादीया

बनाम

1. गोपाल लाल पुत्र देवी लाल जाति कुमावत
   1/1– इन्दिरा देवी पुत्री गोपाललाल
   1/2– द्रोपती देवी पुत्री गोपाललाल
   1/3– बिहारी लाल पुत्र गोपाल लाल
   1/4– ललिता देवी पुत्री गोपाल लाल
   1/5– विजय लक्ष्मी पुत्री गोपाललाल
   1/6– विनोद कुमार नागा पुत्र गोपाललाल
   1/7– शांति नागा पत्नी गोपाललाल
   निवासीयान ढाणी नागान, तह0 जोबनेर जिला जयपुर।
2. तेज प्रकाश नागा पुत्र हनुमान प्रसाद
3. हनुमान प्रसाद पुत्र देवी लाल
   समस्त जाति कुमावत नि0 ढाणी नागान, तह0 जोबनेर जिला जयपुर
4. हीरालाल पुत्र तेजाराम जाति कुमावत नि0 कालख तह0 जोबनेर
5. एच डी एफ सी बैंक शाखा कि0 रेनवाल
6. तहसीलदार, जोबनेर
7. उप पंजीयक जोबनेर

प्रतिवादीगण

वाद बाबत तकासमा आराजीयात
एवं स्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थित :– 1. श्री सुरेश कुमार शर्मा अधिवक्ता वादीया
2. श्री मदनलाल कुमावत अधिवक्ता प्रतिवादीगण

दिनांक :– 29/08/2025

निर्णय

वादीया द्वारा वाद बाबत तकासमा आराजीयात एवं स्थायी निषेधाज्ञा इस आशय का पेश किया गया है कि वाके ग्राम ढाणी नागान प0ह0 ढाणी नागान भू0अभि0नि0क्षेत्र

अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट जोबनेर जिला जयपुर

Neha
उपखण्ड अधिकारी
जोबनेर, जयपुर

जोबनेर तहसील जोबनेर जिला जयपुर मे कृषि भूमि खसरा नंबर 588/9 रकबा 0.5817 हे0 स्थित है। जिसमे वादीया एवं प्रतिवादीगण राजस्व रिकार्ड अनुसार दर्ज खातेदार है। उपरोक्त कृषि भूमि में वादी, प्रतिवादी संख्या 1 लगा0 4 सहखातेदार काश्तकार है लेकिन उक्त कृषि भूमि का विधिक विभाजन नहीं हुआ है। उपरोक्त वर्णित आराजी को वादी व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 पूर्व में हुये मौखिक बटवारा के आधार पर कृषि उपज प्राप्त करते आ रहे है। वादीया व प्रतिवादी संख्या 1 लगा0 4 के मध्य उक्त विवादग्रस्त आराजी का विधिक तकासमा नहीं हो रखा। किसी भी सहखातेदार को विवादग्रस्त भूमि मे मौखिक बंटवारे के विपरित जाकर विशिष्ट भू–भाग का विक्रय करने अथवा निर्माण करने का अधिकार नहीं है। क्योंकि काश्तकारो ने मौखिक विभाजन के आधार पर आराजी को विकसित कर रखा है। परन्तु प्रतिवादी संख्या 1 लगा0 4 की नियत में खोट आ गया है और प्रतिवादी संख्या 1 लगा0 4 भूमि विवादग्रस्त के विशिष्ट भू भाग में मौके कब्जे के विपरित जाकर निर्माण कार्य कर तार बाउण्ड्री कर भूमि का विक्रय करना चाहते है। इसी उद्देश्य से प्रतिवादी सं0 1 लगा0 4 दिनांक 07.04.2025 को वादी के कब्जे काश्त एवं हक हिस्से एवं अधिकार की मौके की उक्त विवादग्रस्त आराजी पर आये और मनचाही जगह पर बेचान करने की धमकी दी। तथा वादी के कहने पर भी तकासमा कराने से इंकार हो गये इसलिए वादीया को यह वाद बाबत तकासमा व स्थायी निषेधाज्ञा का पेश करना आवश्यक हुआ।

वादीया विरूद्व प्रतिवादीगण बाबत स्थाई निषेधाज्ञा इस कदर डिकी किया जावे कि वाद पत्र आराजी खसरा नंबर 588/9 रकबा 0.5817 हे0 वाके ग्राम ढाणी नागान प0ह0 ढाणी नागान भू0अभि0नि0क्षेत्र जोबनेर तहसील जोबनेर जिला जयपुर का मौके पर कब्जे के आधार पर विभाजन हेतु प्राथमिक डिक्री जारी कर नक्शे कुरेजात मंगाकर उसके आधार पर अंतिम डिक्री किया जावे एवं अलग खाता व लगान कायम किया जावे। तथा वाद वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण बाबत स्थाई निषेधाज्ञा इस कदर डिक्री किया जावे के आराजी खसरा नंबर 588/9 रकबा 0.5817 हे0 वाके ग्राम ढाणी नागान प0ह0 ढाणी नागान भू0अभि0नि0क्षेत्र जोबनेर तहसील जोबनेर जिला जयपुर मे वादीसर को बेदखल कर कब्जा ना करे, ना ही विवादग्रस्त आराजीयात पर किसी प्रकार निर्माण कार्य करे, ना ही किसी प्रकार की नीव खुदाई करे ना ही निर्माण सामग्री डाले, ना ही तार बाउण्ड्री करे, ऐसा ना तो प्रतिवादीगण स्वयं करे, ना ही अपने किसी एजेन्ट, सर्वेन्ट, वर्कमेन इत्यादि से करावे तथा राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी की गई। प्रतिवादी संख्या 1 लगा0 4 मय अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आएं। प्रतिवादी संख्या 5, 6, 7 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे, जिसके कारण उनके विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी।

बहस वकील वादीया सुनी गयी। दौराने बहस वकील वादीया ने दावे में वर्णित

Neha
उपखण्ड अधिकारी
जोबनेर, जयपुर

तथ्यों को ही पुनः दोहराया है। तथा वादीया का वाद मुताबिक वाद पत्र प्राथमिक डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया। अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1 लगा0 4 द्वारा वादीया का वाद मौके कब्जे के अनुसार प्राथमिक डिक्री करने हेतु सहमति प्रदान की गयी।

हमने बहस वकील उभयपक्ष पर मनन किया। पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया। पत्रावली में संलग्न राजस्व रिकॉर्ड नकल जमावन्दी सम्वत 2073 से 2076 का अवलोकन किया। विवादित ख0न0 588/9 वाकै ग्राम ढाणी नागान तहसील जोबनेर में स्थित है। उक्त विवादित भूमि में वादीया एवं प्रतिवादीगण राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्से के अनुसार खातेदार है। वाद पत्र में वर्णित आराजी का वादीया व प्रतिवादीगण के मध्य कानूनी तकास्मा नहीं हुआ है। इसलिए वादीया मौके कब्जे के आधार पर विभाजन करवाने की अधिकारी है।

अतः दावा वादीया बाबत विभाजन एवं स्थायी निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होने से वादीया का वाद दिनांक 16.06.2025 को प्राथमिक डिक्री किया गया।

प्राथमिक डिक्री दिनांक 16.06.2025 की पालना में तहसीलदार जोवनेर द्वारा दिनांक 12.08.2025 को कुरेजात तैयार कर न्यायालय में प्रस्तुत किये गये।

बहस कुरेजात अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गयी। अधिवक्ता उभयपक्ष द्वारा वादीया का वाद दिनांक 12.08.2025 को पेश कुरेजात रिपोर्ट के अनुसार अंतिम डिक्री किये जाने हेतु सहमति प्रदान की गयी। पत्रावली का अवलोकन किया गया। तहसीलदार, जोबनेर द्वारा प्राप्त कुरेजात का अवलोकन किया गया। वादीया का वाद दिनांक 12.08.2025 को पेश कुरेजात रिपोर्ट के अनुसार अंतिम डिक्री किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः वादीया का वाद मुताबिक कुरेजात दिनांक 12.08.2025 के अनुसार अंतिम डिक्री किया जाता है।

उपखण्ड अधिकारी ... जोबनेर जिला जयपुर

वाकै ग्राम ढाणी नागान

क.स	नाम खातेदार	खसरा नंबर	रकबा	किस्म
1	तेजप्रकाश नागा पुत्र हनुमानप्रसाद कौम कुमावत सा.देह	बी/882/588	0.0277	बारानी 2
2	हीरालाल पुत्र तेजाराम कौम जाट सा. कालख	ए/882/588	0.0277	बारानी 2
3	मेनका नागा पुत्री सीताराम नागा पत्नि संजय कुमार कुमावत सा. रोड नम्बर 3 गुढा मौड झुंझुनु	डी/882/588	0.0882	बारानी 2
		881/588	0.0780	बारानी 2
		किता–2	0.1662	
4	हनुमानप्रसाद पुत्र देवीलाल हि0 1/2 विनोद कुमार नागा, बिहारीलाल नागा पुत्र गोपाल लाल हि0 1/2 कौम कुमावत सा.देह ।	सी/882/588	0.3601	बारानी 2

उपखण्ड अधिकारी
जोबनेर (जयपुर)

तहसीलदार जोबनेर को आदेश दिये जाते हैं कि मुताबिक डिक्री कुरेजात दिनांक 12.08.2025 राजस्व रिकार्ड में अमल–दरामद करें, लगान दर अनुसार लगान कायम करें। बैंक रहन संबंधित खातेदार के द्वारा बैंक के पक्ष में रहन रखे गये हिस्से को उसके खसरा नम्बर/रकबा के विरूद्ध दर्ज किया जावे। बैंक का रहन खातेदारों के नाम यथावत रहेगा। पर्चा डिक्री तहरीर जारी की जावे। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेगें। तहसीलदार जोबनेर द्वारा प्रस्तुत कुरेजात दिनांक 12.08.2025 निर्णय का भाग रहेंगे।

निर्णय आज दिनांक 29.08.2025 को टंकित कराया जाकर मजमेआम में सुनाया गया।

(नेहा [illegible] RAS)
उपखण्ड अधिकारी
जोबनेर, जयपुर